Friday,
१६ मई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

[illegible] वृत्तान्त

लोकसभा

शुक्रवार, १६ मई १९५२

सदन की बैठक १२ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

[प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री भवन जी ऐ० खीमजी (कच्छ पश्चिम)

जनाब अमजद अली (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

श्री चन्द्र शंकर भट्ट (भड़ौंच)

श्री बी० दास (जाजपुर : क्योंझर) : मेरा सुझाव है कि सचिव महोदय शपथ लेने वाले सदस्यों का नाम पुकारें। हमें उन के नाम ठीक सुनाई नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शपथ लेते समय स्वयं अपना नाम बोलते हैं।

श्री बी० दास : वह ज़ोर से नहीं बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यदि यह शिकायत है तो अगली बार हम ऐसा ही करेंगे।

167—P.S.D.

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति का अभिभाषण

संसद् सचिव : मैं आज प्रातः संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यो, भारतीय गणतन्त्र की इस पहली संसद् के, जो हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई हैसदस्यों की हैसियत म आप लोगों का मैं यहां स्वागत करता हूं। विधान सभाओं की रचना और राज्य के अधिपति सम्बन्धी संविधान के उपबन्धों का हम ने पूरी तरह से अमल दरामद कर दिया है और इस तरह अपने सफर की एक मंज़िल पूरी कर ली है। जैसे ही यह मंज़िल समाप्त होती है दूसरी मंज़िल शुरु हो जाती है। किसी भी जाति या राष्ट्र के लिये अपन आगे की यात्रा में आराम से बैठने की कोई जगह नहीं होती। हमारी जनता में के १७ करोड़ से अधिक द्वारा नवनिर्वाचित आप संसद् के सदस्य ऐसे यात्री हैं जिन्हें उन के साथ साथ आगे बढ़ना है। आप का यह बड़ा सौभाग्य है और आप की भारी ज़िम्मेदारी है।

इस ऐतिहासिक मौके पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं मुझे अपने प्राचीन देश और उस में बसने वाले

[राष्ट्रपति]

करोड़ों नर-नारियों के बड़े भाग्य का कुछ आभास है। भाग्य हमे बुला रहा है और यह हमारा काम है कि हम उस के निमंत्रण को स्वीकार करें। वह आवाहन तो महान् देश भारत की, जिस ने कि इतिहास के उषाकाल से ही, जब कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व उसकी कहानी शुरू हुई थी, सुदिन और दुर्दिन दोनों ही देखे हैं, सेवा के लिये है। इस दीर्घ काल में इस देश को महान् गौरव भी मिला और हमारा भाग्य विपत्तिमय भी रहा। अब जब कि हम भारत की लम्बी कहानी के नये दौर को शुरू करने वाले हैं हमें पुनः यह निर्णय करना है कि किस प्रकार हम उस की सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं। आप ने और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्यनिष्ठ सिद्ध हों और इसे पूरा करने के लिये अपना तन-मन-धन लगा दें।

सुदीर्घ काल की पराधीनता के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। सब कुछ सह कर भी उस स्वतंत्रता को बनाये रखना है, बचाना है और बढ़ाना है, क्योंकि उसी स्वतंत्रता के आधार पर ही तो प्रगति का कोई भी भवन खड़ा किया जा सकता है। किन्तु अकेली स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है—उसे तो अपने साथ हमारी जनता को कुछ सुख लाभ कराना चाहिये और जिन बोझों से वे दबे हुए हैं उन को कम करना चाहिये। इस लिये यह बात हमारे लिये यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अपनी जनता की तेजी के साथ आर्थिक-उन्नति करने के लिये जुट जायें और समता तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के जो उच्च आदर्श हमारे संविधान में अंकित हैं उन को पूरा करने के लिये हम प्रयास करने लगें।

अपने सारे इतिहास में भारत ने मानवात्मा की कुछ दूसरी प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व किया है। संभवतः भारतवर्ष का विशिष्ट लक्षण यही रहा है और अभी हाल में ही उस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतीक को महात्मा गांधी के रूप में जिन्होंने कि अपने नेतृत्व द्वारा स्वतंत्रता तक हमें पहुंचा दिया, हमने देखा है। उनकी दृष्टि में राजनैतिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण कदम थी पर वह केवल मानवात्मा की महत्तर स्वतंत्रता की तरफ एक कदम मात्र ही थी। उन्होंने हमें शान्ति और अहिंसा का रास्ता दिखाया किन्तु वह शान्ति कब्र की शान्ति नहीं है और न वह अहिंसा बुजदिलों की अहिंसा है। और भारत के प्राचीन ऋषियों और महात्माओं की शिक्षा के अनुकूल ही उन्होंने हमें यह सिखाया कि घृणा और हिंसा द्वारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं सध सकता और उचित लक्ष्यों की साधना और प्राप्ति केवल उचित साधनों द्वारा ही हो सकती है। न केवल हम भारतवासियों के लिये ही वरन् मैं यह भी कहूंगा कि संसार भर के लोगों के लिये यह एक बुनयादी सबक है।

मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि जो बड़े काम हमारे सामने हैं उन के करने में भारत के इस प्राचीन तथा चिर-नवीन संदेश को आप याद रखेंगे और सहयोगात्मक प्रयास की भावना से और सब निम्न उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्र और मानवता के हित को मान कर कार्य में लगेंगे। हम को भारत की एकता का अर्थात् अपने भावी उच्च भाग्य की प्राप्ति के लिये क्रियाशील स्वतन्त्र लोगों की एकता का निर्माण करना है। इसलिये हमें उन सब

प्रवृत्तियों को जो इस एकता को क्षीण करती हैं तथा हम लोगों में से एक दूसरे के बीच में दीवारें, साम्प्रदायिक दीवारें प्रान्तीयता की दीवारें और जातपांत की दीवारें खड़ी करती हैं, खत्म कर देना है। अनेक राजनैतिक और आर्थिक विषयों पर मत-भेद होगा और होना चाहिये किन्तु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारी प्रधान प्रेरणा हो और हम इस बात को समझें--और इसे तो हमें समझना ही चाहिये—कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और प्रजातन्त्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है तो ये मत-भेद हमारे सार्वजनिक जीवन को समृद्ध ही करेंगे।

मेरा आप से निवेदन है कि इस दृष्टिकोण से इस देश में आप अपनी समस्याओं का मुकाबला करें और मैत्री भावना से और निर्भय हो कर दुनियां के प्रति व्यवहार करें। आज भय, किसी आने वाले विपत्ति का भय, सारी दुनियां को अन्धकार में डाले हुए है। भय से न तो किसी व्यक्ति का और न किसी देश का उत्कर्ष होता है, वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रन्थों में लिखा हुआ है केवल अभय से ही हो सकता है।

हमने संसार के सभी देशों से मैत्री की नीति बराबर बरती है। और यद्यपि कभी कभी इस के बारे में भ्रान्ति हुई है तो भी इस नीति को दूसरे लोग अधिकाधिक समझने लग गये हैं और इस का फल निकलने लगा है। मैं भरोसा रखता हूं कि हम दृढ़ता से इस नीति पर चलते रहेंगे और आज दुनियाँ के बहुतेरे भागों में जो तनातनी है उस को कुछ कम करने का इस प्रकार प्रयास करेंगे। हमारी सरकार ने दूसरे देशों के साथ इसी तरह ही दस्तन्दाजी नहीं करनी चाही है जिस प्रकार कि वह हमारे अपने देश में दूसरों की दस्तन्दाजी पसन्द नहीं करती। जहां कहीं सम्भव हुआ है हमने सहयोग की रीति से ही काम लिया है और शान्ति स्थापना में अपनी सहायता देने के लिये हम हमेशा तैयार हैं। हम अपनी सहायता को किसी पर लादने की इच्छा नहीं रखते किन्तु हम इस बात को समझते हैं कि आज की दुनियां में कोई देश बिल्कुल अलग हो कर नहीं रह सकता और यह अनिवार्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता रहे ताकि किसी सुदूर भविष्य में मानव जाति की उन्नति के लिये महान् सहयोगात्मक प्रयास में संसार के सारे राष्ट्र सम्मिलित हो जायें।

प्रायः एक वर्ष से इस बात के लिये कोरिया में प्रयत्न हो रहे हैं कि विराम सन्धि का कोई रास्ता निकल आये जिससे कि उन बहुतेरी समस्याओं का जो सुदूर पूर्व एशिया को सता रही हैं शान्तिमय निपटारा हो सके। मैं ने यह आशा कई बार प्रकट की है कि ये प्रयत्न सफल होंगे और शान्ति फिर से स्थापित हो जायेगी। यह महानतम दुर्घटना है कि कोरिया की जनता के लिये सद्भावना के कथनों के बावजूद वह देश लड़ाई, भूख और महामारियों के कारण एक बारगी ही बरबाद हो गया है। संसार के लिये यह एक चिन्ह और चेतावनी है कि युद्ध का क्या फल होता है चाहे फिर उसके पक्ष में किसी प्रकार की तात्कालिक सफ़ाई क्यों न पेश की जाये। युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती बल्कि वह तो समस्याएं पैदा करता है। अब ऐसा मालूम होता है कि कोरिया में विराम-सन्धि में जो भी रुकावटें थीं वह करीब करीब सब दूर हो गई हैं और एक ही बड़ी रुकावट रह गई

[राष्ट्रपति]

हैं—वह है युद्ध बन्दियों की अदला-बदली इस अन्तिम रुकावट को दूर करना नीतिज्ञों की बुद्धि से परे नहीं होना चाहिय। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस का यह अर्थ होगा कि न केवल बुद्धि की ही बल्कि सामान्य मानवता की हार हम ने मान ली। आज संसार शान्ति का भूखा है और जो नीतिज्ञ शान्ति ला सकेंगे वे एक ऐसे भारी और भयावह बोझ को दूर करेंगे जो आज संसार भर में करोड़ों लोगों के मन को व्यथित कर रहा है।

मैं ने पहले कई बार एशिया और अफ़्रीका के विभिन्न प्रदेशों के, जो अब तक स्वतन्त्रता से वंचित हैं, महान् राष्ट्रीय भावना की बड़ी लहर का ज़िक्र किया है। विशेषतया ट्यूनीशिया की हाल की घटनाओं का मैंने ज़िक्र किया है और उस देश के लोगों की स्वतंत्रता की अभिलाषा के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि ऐशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों की इच्छा के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर विचार-विमर्श तक नहीं करने दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संस्था तो विश्वसमुदाय के, जिस में कि सब जातियां सम्मिलित हैं प्रतिनिधित्व के लिये बना था तथा उस का मुख्य उद्देश्य शान्ति बनाये रखना था। शन. शनैः संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों के तथा उन्होंने जो अधिकारपत्र बनाया था उस के महान् उद्देश्य धुँधले पड़ते जा रहे हैं और उन की व्यापक दृष्टि का स्थान अपेक्षाकृत सीमित दृष्टिकोण ले रहा है। विश्वभावना का विचार अपेक्षाकृत संकुचित भावना में परिणित हो रहा है और शान्ति की प्रेरणा क्षीण पड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संस्था मानव जाति की अहम आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये हुई थी। यदि वह इस आवश्यकता की पूर्ति करने में असफल होती है और शान्ति की रक्षा और स्वतन्त्रता की अभिवृद्धि करने का प्रभावहीन साधन मात्र रह जाती है तो वास्तव में यह एक भारी दुःखद घटना होगी। मेरी यह उत्कट आशा है कि यह महान् संस्था जिस के साथ संसार की आशाएं बंधी हुई हैं अपने पुराने आदर्श पर लौट आयेगी और यह शान्ति और स्वतन्त्रता का स्तम्भ बन जायेगी जैसा बनने की कि इससे अपेक्षा थी।

हमारी सरकार ने हमारे महान् पड़ौसी चीन को एक सांस्कृतिक शिष्ट मंडल भेजा है। वह शिष्ट मंडल हमारे लोगों का चीन के लोगों के प्रति अभिनन्दन और सद्भावना लेकर गया है। चीन की सरकार और चीन के लोगों ने उस का जो हार्दिक स्वागत किया है उस के लिये मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

मुझे बहुत अफसोस है कि दक्षिण अफ़्रीका की सरकार की जातीय नीति अभी भी जारी है और उस के कारण गम्भीर परिस्थिति पैदा हुई है। हमारे लोग इस नीति से बहुत चिन्तित हैं क्योंकि भारतीय उद्भव के अनेक लोग दक्षिण अफ़्रीका में रहते हैं। किन्तु यह सवाल अब दक्षिणी अफ़्रीका के हिन्दुस्तानियों का ही केवलमात्र प्रश्न नहीं रह गया है। अब तो उस का महत्व कहीं अधिक बड़ा और विस्तृत हो गया है। यह जातिगत आधिपत्य और जातिगत असहिष्णुता का प्रश्न है। अफ़्रीका में रहने वाले हिन्दुस्तानियों से भी कहीं अधिक अब यह अफ़्रीका के रहने वालों के भविष्य का प्रश्न है। इस सवाल और ऐसे ही

सवालों के निपटारे में विलम्ब करना समस्त मानव जाति के लिये संकटपूर्ण है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि सारे अफ़्रीका में अफ़्रीका के रहने वालों और वहाँ रहने वाले हिन्दुस्तानियों के बीच में मित्रिभाव बढ़ रहा है। हमारी इच्छा अफ़्रीका के लोगों की उन्नति में लेशमात्र हस्तक्षेप करने की नहीं है बल्कि जहां तक हो सके हम उनकी सहायता करना चाहते हैं।

मुझे यह भी खेद है कि लंका में बहुत दिनों से रहने वाले अनेक भारतीय मत देने के अधिकार से वंचित कर दिये गये है। वे लंका के वैसे ही नागरिक होने का दावा करते हैं जैसे कि उस देश के अन्य निवासी करते हैं। लंका से हमारे सम्बन्ध सहस्त्रों वर्षों से हैं और लंका के और उस के लोगों से हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमने लंका की स्वतंत्रता का स्वागत किया था और हम यह आशा करते थे कि उस के लोग स्वतंत्र जाति की हैसियत से हर प्रकार की प्रगति करेंगे। पर वहां के नागरिकों को एक बड़ी संख्या को उनके अपने नैसर्गिक सत्वों से वंचित कर देने से सच्ची प्रगति नहीं हो सकती उस से तो बहुतेरे जटिल प्रश्न और उलझने ही पैदा हो सकती हैं जैसी कि हो भी गई हैं।

पिछले अनेक वर्षों से हमारे यहां खाद्य पदार्थों की कमी रही है और बड़ी मिकदार में अन्न बाहर से लाना पड़ा है। इस काम में अमेरिका के संयुक्त राज्य से हमें बड़ी सहायता मिली है और उस महान् देश ने जो उदारतापूर्ण सहायता की है उसके लिये हम कृतज्ञ हैं। हाल के इतिहास में आज पहले पहल चावल को छोड़ कर और सब अन्नों का हमारे पास बड़ा भण्डार ह ओर हम एक बड़ा भण्डार बना रहे हैं जो आगे ज़रूरत के वक्त हमें मदद देगा। इस बात का तो हमें स्वागत करना चाहिये किन्तु देश के बड़े भागों में वर्षा नहीं होने से वहां के लोगों के लिये कठिन समस्या पैदा हो गई है। लगातार पांच सालों तक रायलसीमा में अनावृष्टि की मुसीबत सहनी पड़ी है और वहां आज सब से बड़ी ज़रूरत की चीज़ पानी है। कुएं गहरे करके पानी ढो कर और दूसरे प्रकार से जनता की सहायता करने का बहुत अच्छा काम हमारी सेना वहां कर रही है। इन सूखे और अन्नाभाव के प्रदेशों में अनेक छोटी मोटी योजनाएं हाथ में ली गई हैं जिन के द्वारा लोगों को काम मिल रहा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं। जहां ज़रूरत मालूमपड़ती है वहां मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है।

विदेशों से आये हुए अन्न की अधिक कीमत होने के कारण अन्न का दाम चढ गया है। सरकार की ओर से घाटा सहकर जो मदद अन्न सस्ता बेचकर की जाती थी उसे कम कर देने से भी कीमतों में यह अधिकाई हुई है और जहां जहां नाप तोल कर अन्न बांटा जाता था वहां लोगों की तकलीफ कुछ बढ़ी है और कुछ असंतोष पैदा हुआ है। इस के असर को चीज़ों के दाम गिर जाने ने कुछ कम कर दिया है। अन्न सम्बन्धी सहायता कम कर दिये जाने की वजह से कई राज्यों की सरकारों ने अन्न आयात करने की अपनी आवश्यकता का वास्तविकता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक ठीक अनुमान लगाया है और इस से जो अन्न की मांग राज्यों से आया करती थी वह कुछ जगहों में कम हो गई है और फलतः उन का आयात कम हो जायगा। यह आज की स्थिति में

[राष्ट्रपति]

और आगे के लिये भी अवश्य ही लाभ-दायक है। जो राशी अन्न सम्बन्धी मदद न देने से बची है वह छोटी मोटी आवश्यक योजनाओं में लगा दी जायेगी जिन से आगे अन्न की उत्पत्ति बढ़ेगी और इस तरह हमें अपनी खाद्यसमस्या के हल करने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार इन सब बातों पर बहुत ध्यान से विचार कर रही है। उसे तात्कालिक और भविष्य के लाभ को आपस में मुकाबला करके देखना है। साथ ही वह इस बात के लिये भी बहुत फिक्रमन्द है कि लोगों को कोई कष्ट न हो और उस से जो कुछ हो सकेगा वह इस विपत्ति को टालने के लिये करेगी।

योजना आयोग अपनी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे रहा है। इस योजना म एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ी गई है, वह है देश भर में ५५ सर्वोन्नति योजनाओं का प्रस्ताव। अमेरिका के संयुक्त राज्य के टैक्निकल कोआपरेशन प्लैन द्वारा दी गई सहायता से ही यह सम्भव हो सका है। इस सर्वोन्नति योजना का प्रयोजन न केवल खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना ही है बल्कि उस से भी कहीं अधिक यह है कि सब लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जाये। आशा की जाती है कि यह योजना उन्नति करेगी और भारत के एक बड़े भूभाग में फैल जायेगी। मगर यह तभी बढ़ सकती है जब इसे जनता का पूरा सहयोग मिले और यह मेरा हार्दिक विश्वास है कि इस बात म भी जैसे कि योजना आयोग के और दूसरे प्रस्तावों को पूरा करने में उस का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।

कृषि द्वारा उत्पादन के मिले जुले कार्य-क्रम ने संतोषप्रद उन्नति की है। बमुकाबले १९४७-४८ के जब पटसन की उत्पत्ति १६·६ लाख गांठ थी १९५१-५२ में वह बढ़कर ४६·८ लाख गांठ हो गई है। इन्हीं दिनों में रूई की उत्पत्ति २४ लाख गांठ की जगह ३३ लाख गांठ हो गई है। अन्न की उत्पत्ति १४ लाख टन बढ़ गई है यद्यपि कुछ प्रदेशों में सूखा पड़ जाने से इस बढ़त का लाभ नहीं हो पाया है। १९४७-४८ में १०·५ लाख टन चीनी बनी थी जो १९५१-५२ में बढ़ कर १३·५ लाख टन हुई है। इस्पात कोयले, सीमेन्ट और नमक की भी उत्पत्ति बढ़ी है। नमक के मामले में भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है और जो बच जाता है उसे देश से बाहर भी भजता है। सौराष्ट्र में एक केन्द्रीय नमक अनुसन्धान स्थान कायम किया जा रहा है।

हमारी सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर गौर करती रही है मैं ने संसद् के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी कमी का जिक्र किया था। यह कमी की ओर झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और ज़ोर से बढ़ गया। कुछ अंश में यह तो सारी दुनियां में चीज़ों की कीमतों के पुनसयोजन के कारण हुआ। जो कमी १९५० में ही शुरु हुई थी वह कोरिया में लड़ाई आरम्भ हो जाने की वजह से कुछ रुक सी गई थी। कोरिया में विराम संधी की आशा की झलक से कीमतों के पुनः संयोजन की यह प्रक्रिया ज़ोर पकड़ गई है। देश में ज्यादा माल पैदा होने की वजह से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों का अधिकाधिक विरोध

करने से इस पुनर्संयोजन के झुकाव को और भी मदद मिली है। रुपये और साख सम्बन्धी सरकारी नीति ने भी जो मुद्रा स्फीति रोकने के ख्याल से शुरू की गई थी दामों को गिराने में मदद की है। जो लोग वाणिज्य और कारबार में लगे हैं और विशेष करके कपड़े और पटसन की बुनाई के कारबार वाले, दामों की इस तेज़ी से गिर जाने से कुछ दिक्कत में पड़ गये हैं। इस से हमारे निर्यात से जो आमदनी होती है उस में भी कमी होने लग गयी है। हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है जिस में इस का हमारे यहां के उत्पादन और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा असर न पड़े। उस का इरादा है कि दाम को एक मुनासिब स्तर पर ठहरा देने के लिये जो कारवाई ज़रूरी हो वह करेगी।

इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय कायम किया गया है। सरकार के कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिये एक नये मंत्रालय की स्थापना से स्पष्ट है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

सरकार ने पिछले वर्ष संसद् को आश्वासन दिया था कि एक प्रेस कमीशन समाचार पत्रों सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिये मुकर्रर किया जायेगा। हमारी सरकार को आशा है कि वह निकट भविष्य में ही ऐसा कमीशन नियुक्त करेगी। ऐसा सोचा गया है कि संसद् के सामने प्रेस लौज इन्क्वारी कमेटी की शिफारिशों से उद्भूत एक विधेयक उपस्थित किया जाये।

संसद् का यह सत्र विशेष करके बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिये शायद बहुत समय नहीं मिलेगा। १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार की आय व्यय का अनुमानपत्र पेश किया जायेगा और लोक सभा के सदस्यों को जो खर्च के लिये मांगें होंगी उन को विचार करके पारित करना होगा।

अन्तर्कालीन संसद् के अन्तिम सत्र के बाद सौराष्ट्र (एबोलिशन आफ लोकल सी कस्टम्स ड्यूटीज़ एण्ड इम्पोजिशन आफ) पोर्ट डवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिये एक अध्यादेश का प्रख्यापन करना आवश्यक हो गया था। वह अध्यादेश आप के सामने एक नये विधेयक के रूप में आयेगा और आप से निवेदन किया जायेगा कि आप उस पर विचार कर और उस को पारित करें। एक दूसरा अध्यादेश डिस्प्लेस्ड परसन्स क्लेम्स ऐक्ट १९५० को जारी रखने के लिये जारी किया गया था। उस अध्यादेश की जगह पर भी आप के सामने एक विधेयक उपस्थित किया जायेगा।

कई विधेयक जो अन्तर्कालीन संसद् में पेश किये गये थे अब व्यपगत हो गये हैं। जहां तक समय मिलेगा उन में से कुछ को आप के सामने रखा जायेगा यह भी विचार है कि संसद् के सामने निवारक अवरोध सम्बन्धी विधेयक भी रखा जाये।

एक विधि सम्बन्धी प्रस्ताव जिस पर अन्तर्कालीन संसद् में काफी बहस हुई थी हिन्दू कोड बिल था। यह पारित नहीं हो सका था और दूसरे विधेयकों के साथ यह भी व्यपगत हो गया है। हमारी सरकार का यह इरादा है कि इस विषय पर एक नया विधान पेश किया जाये। किन्तु यह सोचा गया है कि इस विधेयक के कई भाग कर दिये जायें और प्रत्येक भाग

[राष्ट्रपति]

को संसद् के सामने अलग-अलग उपस्थित किया जाये जिस में उस पर विचार करना और उसे पारित करना आसान हो जाये।

मैं ने यह प्रयत्न किया है कि संसद् के इस सत्र में जो काम आपके सामने आयेंगे उन में से कुछ को आपको बता दूं। मुझे आशा है कि आप का परिश्रम हमारे देश के कल्याण के लिये सफल होगा और यह भारत के गणतन्त्र का नई संसद् मैत्रीपूर्ण सहयोग और योग्यता-पूर्वक काम करने की एक मिसाल पेश करेगी। आप की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कहां तक सहिष्णुता की भावना से आप अपने सारे कामों में काम लेते हैं और कहां तक आप के सारे प्रयास सद्बुद्धि से आलोकित हैं। मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि यह बुद्धिमत्ता और सहिष्णुता की भावना आप को बराबर अनुप्राणित करेगी।

विधेयकों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति

संसद् सचिव : मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में उन विधेयकों का वर्णन है जो अन्तर्कालीन संसद द्वारा पांचवे सत्र १९५२ में पारित किये गये थे तथा जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

स्थगन प्रस्ताव

अन्न सहायता

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है जिन की भाषा तो भिन्न भिन्न हैं परन्तु तीनों में अन्न सहायता का प्रश्न उठाया गया है। इन में से दो प्रस्ताव श्री के० सुब्रह्मण्यम् के हैं और एक श्री ए० के० गोपालन का है। इन प्रस्तावों के महत्व और अविलम्बनीयता पर मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं परन्तु स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं। एक तो यह कि यदि किसी विषय विशेष को आगे चल कर किसी वाद विवाद के समय उठाये जाने का मौका है तो उस के बारे में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस में एक लाभ यह हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर तो चर्चा केवल दो घंटे तक ही चल सकती है परन्तु वाद विवाद के अवसर पर काफ़ी समय मिल सकता है। सदन को ज्ञात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में सरकार की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव आयेगा और सब से जल्दी वही मौका आ रहा है जब कि माननीय सदस्य उस में संशोधनों की पूर्व सूचना दे कर अपने प्रश्नों को उठा सकते हैं या यह कह सकते हैं कि उस में अन्न सहायता की बात छोड़ दी गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा सोमवार १९ मई से तीन दिन तक होगी और उस समय माननीय सदस्य यह विषय उठा सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा यह सत्र मुख्यतः आयव्ययक सम्बन्धी कार्य के लिये है; अतः इस चर्चा में जैसे खाद्य मंत्रालय के आयव्ययक के बारे में वह इस प्रश्न को उठा सकते हैं। अन्य बहुत से अवसर भी मिल सकते हैं, जैसे सामान्य चर्चा के अवसर पर या किसी विशेष मांग के प्रस्तुत होने पर या कटौती प्रस्ताव पर। फिर वित्त विधेयक भी है.....

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इस समय में नहीं बता सकता।

अध्यक्ष महोदय : खैर इसे छोड़िये। फिर भी इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिये करीब करीब रोज ही मौका मिलेगा। चूंकि अधिकांश सदस्य नये ह; इसलिये में स्थगन प्रस्ताव के सिद्धान्त को बताना चाहता हूं। स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा तरीका है जिस से सदन के समक्ष एक ऐसा विषय लाया जा सकता है जो कि क्रम पत्र पर न हो और न ही जिस की माननीय सदस्यों को कोई सूचना ही हो। जब तक कोई बहुत ही अधिक आवश्यक या संकट की बात न हो, सामान्यतः क्रम पत्र में नई चीज नहीं रखी जाती है। किसी नये विषय पर चर्चा करना इन सदस्यों के प्रति अन्याय करना है जो उस दिन के कार्य-क्रम को देख कर सदन में उपस्थित न हुए हों। अतः उसी विषय के बारे में स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है जो कि वास्तव म अत्यावश्यक हो और जिस पर चर्चा करने का आगे कोई अवसर न हो। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दे रहा हूं। वैसे तो प्रस्ताव तीन हैं परन्तु उनका विषय एक ही है। माननीय सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में निश्चय ही अपने संशोधनों की पूर्व सूचना दे सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम-रक्षित—अनुसूचित जन जातियां) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्त, क्या माननीय सदस्य बहस करना चाहते हैं।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, आप ने अभी कहा कि उस विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये जिस पर चर्चा होने वाली हो। मैं पूछना चाहता हूं कि उस प्रत्याशित चर्चा और स्थगन प्रस्ताव में कितने दिन का अन्तर होना चाहिये? क्या कोई ऐसा नियम है कि एक या दो सप्ताह का अन्तर होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है। यह तो विषय विशेष पर निर्भर है। माननीय सदस्य नियम ६२ (छ) को देख सकते हैं जिस के अनुसार उस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती जिस पर चर्चा किये जाने के लिये कोई तिथि निश्चित कर दी गई है। इस बारे में अध्यक्ष को यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्याशित विषय समय के अन्दर ही सदन के समक्ष प्रस्तुत हो।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात पर मुझ से सहमत होंगे कि चूंकि सदन की बैठक सोमवार को होगी इस लिये दो दिन की देर कोई देर नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, श्री गोपालन के स्थगन प्रस्ताव में अन्न सहायता की ही चर्चा नहीं है बल्कि उस में निरन्तर चली आ रही भयंकर अकाल स्थिति.....

अध्यक्ष महोदय : यह सब बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उठाई जा सकती हैं।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं इस प्रस्ताव की अविलम्बनीयता पर बहस करना नहीं चाहता क्योंकि आप इसे मान ही चुके हैं। इस प्रस्ताव को लाने में मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि खाद्य के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई है। गत पांच वर्षों में बहुत बार वाद विवाद हुआ है—आय-व्ययकों, स्थगन प्रस्तावों

[श्री ए० के० गोपालन]

तथा अन्य अवसरों पर चर्चा हुई है। परन्तु देश में आज स्थिति एसी ह कि एक भी व्यक्ति....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। हम इस पर बहस करना नहीं चाहते कि इस सदन में अब तक कैसे काम होता रहा है। मैं माननीय सदस्य की शिकायतों को समझ सकता हूं। परन्तु मैं अनुमति दिये जाने की प्रक्रिया आदि के बारे में चर्चा नहीं होने दे सकता। इस का अन्यथा कोई अन्त ही नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : श्रीमान्, अधिकांश सदस्यों को इस सदन के प्रक्रिया एवं कार्यवाही संचालन सम्बन्धी नियमों की प्रतिलिपियां नहीं मिली हैं जिस के कारण हम कार्यवाही को भली भांति नहीं समझ पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह छप रही हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : बात यह है कि कभी ऐसा हो सकता है कि भूल से हम किसी नियम का उल्लंघन कर जायें और फिर हमारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो।

अध्यक्ष महोदय : अनभिज्ञता के लिये मैं उन को सहायता करूंगा। यदि यह मामला नियमों के अनुसार नहीं है, तो मुझे इस को अस्वीकार करना ही होगा।

पुराने नियमों की प्रतिलिपियां तो उपलब्ध है। उन में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है और वह अब छप रहे हैं। नवीनतम नियम गजट में दिये गये हैं, जो पुस्तकालय में मिल सकता है। सदस्यों की सुविधा के लिये इन्हें एक अलग पुस्तिका के रूप में छापा जा रहा है। प्रेस में अन्य बहुत से काम होने के कारण देर लग रही है। संसद के लिये एक अलग प्रेस खोलन का प्रस्ताव तो मंजूर हो गया है परन्तु मशीनों आदि के तथा धन के भी न मिलने के कारण अपना अलग प्रेस स्थापित करना कठिन हो गया है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

(१) सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्री निराक्रम्य कर का समापन) तथा पत्तन विकास कर (आरोपण) निरसन अध्यादेश तथा

(२) विस्थापित व्यक्ति (दावे) जारी रखने सम्बन्धी अध्यादेश।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं सदन पटल पर निम्न अध्यादेशों की एक एक प्रतिलिपि रखता हूं जो अन्तर्कालीन संसद् के पांचवें सत्र की समाप्ति के बाद तथा संसद् के प्रथम सत्र १९५२ के प्रारम्भ होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किये गये थे :—

(१) सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्री निराक्रम्य कर का समापन) तथा पत्तन विकास कर (आरोपण) निरसन अध्यादेश १९५२ (१९५२ का ४था) [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या पी–२/५२**]; तथा

(२) विस्थापित व्यक्ति (दावे) जारी रखने सम्बन्धी अध्यादेश, १९५२ (१९५२ का ५वां) [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या पी–३/५२**]

सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अनन्तशयनम आयंगर, पंडित ठाकुर दास भागव तथा

श्रीमती अम्मू स्वामि–नाथन को सभापति तालिका पर मनोनीत करता हूं ।

सारभूत वस्तुएं (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद २८६ के खंड (३) के अनुसार कुछेक सारभूत वस्तुओं को जनसाधारण के जीवन के लिये आवश्यक घोषित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्री निराक्रम्य कर का समापन) तथा पत्तन विकास कर (आरोपण) निरसन विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्री निराक्रम्य कर का समापन) तथा पत्तन विकास कर (आरोपण) अध्यादेश, १९४९ का निरसन करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

GIPD—HS—167 PSD.—20-5-53—285

दीवानी व्यवहार संहिता (संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दीवानी व्यवहार संहिता, १९०८ के अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री बिश्वास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

व्यवस्था आदेश प्रवर्त्तन (संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवस्था आदेश प्रवर्तन अधिनियम, १९२१ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री बिश्वास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लेख्य-प्रमाणक विधेयक

विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेख्य-प्रमाणकों के व्यवसाय को विनियमित करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री बिश्वास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, १९ मई, १९५२, के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।